संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्य प्रदेश

क्र./ आई.डी.एस.पी/2020/ 1353 भोपाल, दिनांक 10/08/2020

प्रति,

1. समस्त सम्भागायुक्त, मध्य प्रदेश
2. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश
3. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्य प्रदेश
4. समस्त नगर निगम आयुक्त, मध्य प्रदेश
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत, मध्य प्रदेश
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश

विषय:- कोविड-19 संक्रमण के परिपेक्ष्य मे कंटेन्मेंट जोन के संबंध मे।

संदर्भ :- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत शासन के अर्धशासकीय पत्र F.No. Z.28015/30/2020-EMRदिनांक 29.07.2020

--------00--------

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है की लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत शासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण के संचारण के रोकथाम हेतु कंटेन्मेंट ज़ोन के संबंध मे पूर्व मे निम्नलिखित मार्गदर्शिका जारी की गई है जिसको राज्य स्तर हेतु http//mphealthresponse.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाया गया है।

प्रायः यह देखने मे आ रहा है की कई जिलों मे कंटेन्मेंट ज़ोन एवं बफर ज़ोन घोषित करने के उपरांत भी निरंतर केसेस मे वृद्धि हो रही है एवं ऐसी स्थिति मे एक्टिव सरवेलेंस, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग एवं होम आईसोलेशन से संबंधित गतिविधियों को संपादित करने मे अवरुद्ध उत्पन्न हो रहा है। अतः इन समस्याओं के निराकरण हेतु कंटेन्मेंट ज़ोन हेतु पुनरीक्षित मार्गदर्शिका का गठन निम्नलिखित बिंदुओ के अनुसार किया जाना है जिससे की कंटेन्मेंट ज़ोन मे रहने वाले निवासियों एवं जन सामान्य को आने वाली कठिनाईयों का सामना न करना पड़े -

1. यदि कोविड-19 पुष्ट केस के आईसोलेशन एवं पुष्ट केसेस के समस्त कॉन्टेक्ट की निगरानी करने के पश्चात विगत 14 दिवस मे कंटेन्मेंट ज़ोन मे कोई कोविड-19 पुष्ट केस नहीं पाया जाता है तो, ऐसे स्थानों मे सरवेलेन्स गतिविधि को शिथिल किया जा सकता है।
2. अंतिम कोविड-19 पुष्ट केस के चिकित्सालय/होम आईसोलेशन से डिस्चार्ज के 14 दिवस (पूर्व मे 28 दिवस)उपरांत ,कंटेन्मेंट ज़ोन के डी-नोटिफिकेशन की अधिसूचना जारी की जावेगी।
3. कंटेन्मेंट ज़ोन के डेनोटिफिकेशन की अधिसूचना जारी करने के उपरांत भी ऐसे समस्त कंटेन्मेंट ज़ोन एवं बफर ज़ोन मे मे ILI/SARI केसेस हेतु सरवेलेन्स गतिविधि एवं टेस्टिंग पूर्वरत रूप से नियमानुसार संचालित की जाना है। यदि इन क्षेत्रों मे कोविड-19 पुष्ट केसेस की पुनरावृत्तिहोती है तो, पुनः इन क्षेत्रों

को कंटेन्मेंट/बफर ज़ोन घोषित कर कोविड-19 की संचारण के रोकथाम की समस्त कार्यवाही नियमानुसार शुरू की जावेगी।

4. अंतिम कोविड-19 पुष्टि मामले का आरटी-पीसीआर से नकारात्मक परीक्षण के 28 दिनों के बाद ही शहर को कोविड-19 संक्रमण से मुक्त घोषित किया जाएगा।

(डॉ. संजय गोयल)
आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये,
म.प्र.

क्र./आई.डी.एस.पी/2020/ भोपाल, दिनांक /08/2020

प्रतिलिपि- सूचनार्थ प्रेषित

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासनलोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासनलोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र.
4. अपर संचालक, आई.डी.एस.पी. शाखा संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, म.प्र.
5. सन्युक्त संचालक, कोविड-19 कट्रोल रूम, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, म.प्र.
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये., म.प्र.
6. उपसंचालक, आई.टी. शाखा, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, म.प्र.

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
म.प्र.

F. No. Z.28015/30/2020-EMR
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
Directorate General of Health Services
(EMR Division)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 29th July, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Ministry of Health & Family Welfare has issued the Containment Plans for managing small clusters and large outbreaks of COVID-19 which are available on the website of Ministry of Health & Family Welfare (https://www.mohfw.gov.in/pdf/Containmentplan16052020.pdf and https://www.mohfw.gov.in/pdf/UpdatedContainmentPlanforLargeOutbreaksofCOVID19Version3.0.pdf).

However, some States have experienced continuing outbreaks in some containment zones (CZs) and buffer zones (BZ) (encircling the CZs), keeping them under lockdown for over months. In such cases, to have another period of 28 days, to de-notify such CZs brings hardships to its residents. Hence some States have requested to review the same.

It is noted that such continuing outbreaks in CZ/ BZs, reflect less than satisfactory active surveillance, contact tracing, testing and inadequate adherence to home isolation guidelines. Hence to avoid such situation, the CZ needs to be redefined, surveillance strengthened and testing increased many-fold.

In view of the hardships faced by residents, States having such CZs with prolonged lockdowns, may opt for the following:

i. The surveillance operations will be scaled down if no laboratory confirmed COVID-19 case is reported from the containment zone for at least 14 days after the last confirmed case has been isolated and all the contacts of the confirmed case have been followed up for 14 days.
ii. De-notification of the containment zone will be done 14 days after discharge of last confirmed case (instead of 28 days).
iii. However, the surveillance for ILI/SARI and their rigorous testing will continue in the de-notified containment and buffer zones. If further positive cases emerge in the de-notified containment or buffer zone, the area will again be declared as containment zone and the containment process shall begin afresh.
iv. The city/district/state will be declared free from the disease outbreak only after 28 days have passed since the last confirmed case has tested negative by RT-PCR.

This issues with the approval of Union Secretary (Health)

(Dr. P Ravindran)
Director, Emergency Medical Relief
Dte. GHS, Ministry of Health & Family Welfare
Tel: 011-23061302

To,

1. Addl. Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (Health) of all States/Union Territories Administration

Copy to:

1. Secretary (H), MoHFW
2. OSD (H), MoHFW
3. DGHS, MoHFW
4. JS (LA)